

मिसिल सं0 ए-52011/54/2021- स्था0-२/

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना -२ अनुभाग

तृतीय तल (द), सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066.
दिनांक: 25-04-2023

कार्यालय आदेश

केंद्रीय जल आयोग के दिनांक 17-03-2023 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22012(11)/6/2022-स्था0-2 की अनुपालना में मध्य गंगा मण्डल-2, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ से केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप तथा मध्य गंगा मण्डल-2, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ से दिनांक 12-04-2023 के कार्यालय आदेश संख्या A-19011/82/2021-HOC-DEHRADUN द्वारा दिनांक 06-04-2023 (अपराहन) को कार्यमुक्त होकर, श्री विवेक कुमार वर्मा, अधिशाषी अभियंता/उप निदेशक ने 10 दिनों का कार्यग्रहण अवधि (07-04-2023 से 16-04-2023) तथा 08 दिनों का अर्जित अवकाश (17-04-2023 से 24-04-2023) लेने के बाद दिनांक 25-04-2023 (पूर्वाहन) को केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(चिरंजीब मृधा)
अनुभाग अधिकारी (स्था0-२)
फोन नं० 011 – 2958 3311

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष (केंद्रीय जल आयोग) के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन प्रबंध), के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।
4. सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग, देहरादून।
6. श्री विवेक कुमार वर्मा, उप निदेशक, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली।
7. उप निदेशक, डबल्यूपीसी/टीसी/प्रशिक्षण/ई-गवर्नेंस सेल, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, सीएम&वी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
9. अधिशाषी अभियंता, मध्य गंगा मण्डल-2, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ। यह अनुरोध किया जाता है कि, श्री विवेक कुमार वर्मा, अधिशाषी अभियंता/उप निदेशक का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द अनुभाग अधिकारी, लेखा-3 अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेजें।
10. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
11. लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
12. डीडीओ-1, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
13. अनुभाग अधिकारी, लेखा-1/लेखा-3 अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
14. अनुभाग अधिकारी, आवृत्ति एवं निर्गम अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
15. सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के लिए।
16. सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
